

विधायी कार्य/  
परम अग्रता

प्रेषक

क्रमांक 1/14/2009-1सं0 का0

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सचिव,  
हरियाणा विधान सभा,  
चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़ 17.02.2024

विषय:-

हरियाणा विधान सभा के दिनांक 20 फरवरी, 2024 से आरम्भ होने वाले अधिवेशन के लिये सरकारी विधायी कार्य ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा के दिनांक 20 फरवरी, 2024 से आरम्भ हो रहे अधिवेशन में निम्नलिखित विधायी कार्य पेश किये जाने की सम्भावना है:-

ORDINANCE

1. Nil

BILLS TO BE MOVED

1. The Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024.
2. The Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) (Haryana Amendment) Repeal Bill, 2024.
3. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2024.

PAPERS TO BE LAID/RE-LAID

1. Budget Estimates for the year 2024-25.
2. Supplementary Estimates for the year 2023-24 (3<sup>rd</sup> Installment).

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विधायी कार्य में कमी या वृद्धि भी हो सकती है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप हरियाणा विधान सभा की क्रियाविधि तथा संचालन नियमावली के नियम 29 के अधीन सदन के कार्य को तदनुसार व्यवस्थित कर लें ।

भवदीय,

<sup>9</sup>  
अशोक

अधीक्षक संसदीय कार्य

पृष्ठांकन क्रमांक 1/14/2009-1सं0 का0

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार  
दिनांक चण्डीगढ़ 17.02.2024 17/2

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. सचिव/राज्यपाल, हरियाणा तथा प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री, हरियाणा ।

<sup>9</sup>  
अशोक

अधीक्षक संसदीय कार्य  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।  
17/2